

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० ५९१/न० अ० वि०

दिनांक ०३/६/१३

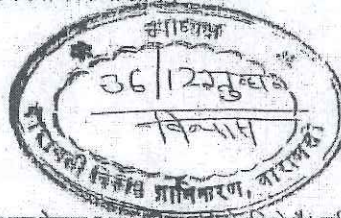
गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल ३० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री श्रीमती सुषमा चानी
श्री. जयसिंह सुषमा चानी श्रीमती दीपा जयसिंह पत्नी श्री. जयसिंह सुषमा चानी
 पिता/पति का नाम श्री आराजी संख्या ५१२ मंजा श्रीमती
 वार्ड मुंगेर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिह्नित भवन
 चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक २०



नगर अभियन्ता (भवन)
 विकास प्रकृतिसाधक वाराणसी।
 वाराणसी विकास प्राधिकरण
 वाराणसी

नोट : १- यह स्वीकृति पत्र केवल ५ वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आजानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इराका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

२. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बदाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, शॉप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा २९३ के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

३. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

४. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९७३ (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूलस के नियम १९७०) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

५. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् १५ दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

६. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मुहान के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

७. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें :-

1. पक्ष को स्थल पर रोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
2. पक्ष को स्थल पर मानक के अनुसार 109 पेड़ लगाना होगा।
3. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि० 04.03.13 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. शासनादेश सं०-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ080) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं०-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ080) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
5. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
6. स्टिलड फ्लोर के नीचे बेसमेन्ट का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी दशा में बेसमेन्ट की छत भूतल के लेबिल में होगी तथा उसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की व्यवस्था प्राविधान किया जाना अनिवार्य है तथा स्लैब का स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी।
7. भवन में टॉचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
8. यदि भविष्य में यदि स्वाभिव्यक्त सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजागर होता है जो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर ड्राईनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रुव हाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चर डिजाइन, अलिलेख तथा शासनादेश के अनुक्रम में प्रमाण पत्र भू-स्वतंत्रता/निर्धार/आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा।
11. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
12. पक्ष एवं आर्किटेक्ट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा को अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष/आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
13. भवन निर्माण सामग्री अपने ही भूमि पर रखा जाना होगा।
14. मुख्यण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में गलत अपने मुख्यण्ड पर रखेगा।
15. बेसमेन्ट की प्रस्तावना जो बिल्डिंग लाईन से अधिक पर प्रस्तावित है, उसमें स्लैब प्रस्तावित, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।
16. सपथ पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अगर अभियंता (भवन)
नियमन प्रावि हर प, धारणशी।